



जीएमपी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए दिशानिर्देश

ईरान को भारतीय चाय के निर्यात के लिए, टी बोर्ड इंडिया ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय से जीएमपी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए चाय निर्यातकों को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी कर रहा है। एनओसी उस परिसर के लिए जारी की जाती है जहां आईएसओ 22000 के अनुसार खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का पालन करते हुए चाय के भंडारण, मिश्रण और पैकेजिंग की गतिविधियां की जाती हैं। ऐसी एनओसी जारी करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों का विवरण नीचे दिया गया है:

1. वैध आईएसओ 22000 प्रमाणपत्र। प्रमाण पत्र में प्रस्तावित विनिर्माण/सम्मिश्रण इकाई का उल्लेख किया जाना चाहिए।
2. वैध एफएसएसआई लाइसेंस। उक्त विनिर्माण/मिश्रण इकाई को एफएसएसआई लाइसेंस में अधिकृत परिसर के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए और 'चाय' को एफएसएसआई लाइसेंस के उत्पाद अनुबंध में अधिकृत खाद्य उत्पाद के रूप में उल्लेख किया जाना चाहिए।
3. उक्त विनिर्माण/मिश्रण इकाई के संबंध में टी बोर्ड द्वारा जारी फैक्टरी पंजीकरण प्रमाणपत्र या वैध वेयरहाउस लाइसेंस, जैसा भी मामला हो।
4. आवेदक फर्म के पक्ष में टी बोर्ड द्वारा जारी वैध निर्यातक लाइसेंस।
5. यदि कोई अन्य संस्था अपनी इकाई में चाय के भंडारण/मिश्रण/पैकेजिंग की गतिविधियों को चलाने के लिए सेवा प्रदान करती है, तो मूल्य के गैर न्यायिक स्टॉप पेपर में पार्टियों (आवेदक फर्म और सेवा प्रदाता) के बीच निष्पादित कार्य/कार्य समझौते की एक प्रति 100/- रुपये से कम नहीं, विधिवत नोटरीकृत और दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित और मुहरबंद जमा करना होगा।

यदि दस्तावेज क्रमांक 1, 2 एवं 3 आवेदक फर्म के नाम पर हैं, क्रमांक 5 के दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।

क्रमांक 4 के दस्तावेज आवेदक फर्म के नाम पर होना चाहिए।

ह/-
अनुज्ञापन नियंत्रक
टी बोर्ड